

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा/(एफ-31)/2019/

दिनांक :

आदेश

निम्नांकित कार्मिकों की नियुक्ति निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधीभर्ती/2015/871 दिनांक 11.12.2015 एवं 515 दिनांक 27.04.2016 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्रदान की गई थी। जिन्होंने प्रयोगशाला सहायक के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) सतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है इनका कार्य एवं व्यवहार सतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(1)एफ डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में प्रयोगशाला सहायक पद की पै मैट्रिक्स एल 5 में न्यूनतम वेतन रुपये 20800 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे -

क्र. सं.	पदस्थापन सूची क्रमांक एवं दिनांक	कर्मचारी का नाम	पदस्थान स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	क्र स 515 दिनांक 01.09.16	श्री युसूफ खान पठान	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनोता (चित्तौड़गढ़)	01.02.1984	02.05.2016	02.05.2018
2.	क्र स 871 दिनांक 11.12.15	श्री मनोज कुमार मुन्दडा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर (श्रीगंगानगर)	14.08.1978	21.12.2015	22.01.2018

नोट :- क्रम संख्या (2) पर अंकित श्री मनोज कुमार मुन्दडा, प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा अवधि दिनांक 21.12.17 को पूर्ण होती है परन्तु कार्मिक द्वारा परीक्षा काल में 62 दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1(एफडी)रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 07.08.2014 के अनुसरण में निदेशालय के आदेश क्रमांक 106 दिनांक 13.02.2019 के द्वारा कार्मिक के 62 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप एक माह से अधिक अवधि के उपभोग किये गये असाधारण अवकाश के बराबर परीक्षाकाल में अभिवृद्धि की गई है।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 28/08/2019

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा / (एफ-31)/2019/223

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर तोख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर